SR-No. 22 (R)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 21, 2010/माघ 1, 1931

No. 124] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 21, 2010/MAGHA 1, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2010

का.आ. 143(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को उसके स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, उक्त सारणी के क्रमशः स्तम्भ (1), स्तम्भ (2) और स्तम्भ (3) में उपदर्शित तत्स्थानी क्रम संख्यांक, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्यांक और उसके वर्णन के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए समझे जाएंगे।

सारणी

(1)	(2)	(3)
56क	69क	चिखली, दुनावा, छिंदवाड़ा, चौराई को जोड़ते हुए विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर मुल्तई से प्रारंभ होने वाला और मध्य प्रदेश राज्य में राजमार्ग सं. 7 पर सिवनी पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
17ख	26ख	मध्य प्रदेश राज्य में हरारी, अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा, सौसर को जोड़ते हुए विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 26 पर नरसिंहपुर से आरंभ होने वाला और महाराष्ट्र राज्य में विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 69 पर सानोर पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

[फा. सं. एनएच-14012/5/2009-पीएंडएम]

एस. नरेन्द्र, निदेशक

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और उसकी अनुसूची को भारत के राजपत्र में 11 सितम्बर, 1956 में प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना सं. का.आ. 109(अ), तारीख 18 जनवरी, 2010 द्वारा उक्त अनुसूची का अंतिम बार संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2010

S.O. 143(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the following Table to be a national highways as specified in the corresponding entries of column (2) thereof.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the corrresponding serial numbers, the national highway numbers and the description thereof indicated in columns (1), (2) and (3) respectively of the said Table.

TABLE

(1)	(2)	(3)
56A	69A	The highway starting from Multai on existing NH-69 connecting Chikhli, Dunawa, Chindwara, Chaurai and terminating at Seoni on National Highway No. 7 in the State of Madhya Pradesh.
17B	26B	The highway starting from Narsinghpur on the existing National Highway No. 26 connecting Harrari, Amarwada, Chindwara, Sausar in the state of Madhya Pradesh and terminating at Saoner on existing National Highway No. 69 in the State of Maharashtra.

[F. No.NH-14012/5/2009-P&M]

S. NARENDRA, Director

Footnote : The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India on 11th September, 1956 and the said Schedule was last amended *vide* Notification number S.O. 109(E), dated the 18th January, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.